Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ सोजत रोड जिला पाली में परमानन्द शर्मा, (संविदा कर्मी) नगरपालिका सोजत रोड जिला पाली को पच्चीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर, दिनांक 16 जुलाई 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी पाली द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए **परमानन्द शर्मा ;दलालद्ध नगरपालिका सोजत रोड जिला पाली** को **पच्चीस हजार रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि एसीबी चौकी पाली द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के बडे पिताजी के नाम का पेतृक भूखण्ड का पट्टा जारी करने की ऐवज में परमानन्द शर्मा नगरपालिका के (संविदाकर्मी) नगरपालिका सोजत रोड जिला पाली द्वारा अधिकारियो ध् कर्मचारियो (अकाउंटेड, जेईएन व ईओ के नाम से) पच्चीस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय के प्रभारी **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री देरावर सिंह** एवं टीम के द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर आज दिनांक 16.07.2026 को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी परमानन्द शर्मा (संविदाकर्मी) नगरपालिका सोजत रोड जिला पाली को रिश्वत राशि 25,000/— रूपये लेते हुऐ रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में रखे, जहां से एसीबी टीम द्वारा रिश्वत राशि बरामद की गई। आरोपी परमानन्द शर्मा पूर्व में सोजत रोड पंचायत में कर्मचारी था जो रिटायर होने के बाद पिछले 6 वर्ष से दिसम्बर 2025 तक नगरपालिका सोजत रोड में संविदाकर्मी के रूप में कार्य कर रहा था मगर आयु 65 वर्ष से ज्यादा हो जाने से अपने पुत्र सुनील शर्मा को संविदा पर लगवाया है तथा उसकी जगह स्वंय ही लगातार कार्य कर रहा है। संविदाकर्मी की जगह पर दुसरे व्यक्ति से कार्य कराने के संबध में नगरपालिका अधिकारियो से अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अंतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमति एस परिमला** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **हेल्पलाईन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सअप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।